बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र सं0–क0 / विविध–06 / 2010– /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

राकेश कुमार,
नोडल पदाधिकारी,
(ई–टेन्डरिंग) ।

सेवा में,

क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना
सभी मुख्य अभियंता (यॉत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक, वाल्मी, पटना ।
निदेशक, क्रय,भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
संयुक्त निदेशक, FMISC
जल संसाधन विभाग, अनीसाबाद, पटना ।
अधीक्षण अभियंता,
गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर ।

विषयः–डिजिटल सिग्नेचर के अपग्रेडेशन के संबंध में ।

प्रसंगः–बेल्ट्रॉन का पत्रांक–309 / 16 दिनांक–13.01.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में ई–टेन्डरिंग कार्य से संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के Digital Signature Certificate को Signing Category सें Signing & Encryption Category में upgrade कराया जाना है । विभिन्न प्रकार के upgradation हेतु दर निम्नवत संसूचित किया गया है ।

क0 सं0	विवरणी	दर (सभी कर सहित)
1	ई टोकेन के साथ Encryption सहित नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु	रूपये 818 / – मात्र
2	पूर्व में निर्गत डिजिटल सिग्नेचर के नवीकीकरण एवं Encryption हेतु	रूपये 403 / – मात्र
3	पूर्व में निर्गत डिजिटल सिग्नेचर में सिर्फ Encryption Certificate डालने हेतु	रूपये 205 / – मात्र

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका के अनुरूप निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो B.S.E.D.C. Ltd के नाम से निर्गत होगा तथा पटना में भुगतेय होगा (Payable at Patna), विहित आवेदन एवं पैन संख्या, आावासीय पता से संबंधित अभिलेख, प्रभार प्रतिवेदन एवं अधिसूचना की प्रति जो स्वहस्ताक्षरित हो एवं सभी अभिलेख राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो के साथ संलग्न करते हुए नोडल पदाधिकारी, ई–टेन्डरिंग, जल संसाधन विभाग को भेजना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय । हस्ताक्षर एवं आवेदन पत्र भरने हेतु नीली स्याही का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त संदर्भ में विस्तृत जानकारी विभागीय पत्रांक–527 दिनांक–27.07.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दी जा चुकी है ।

अनुः–यथोक्त् ।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई–टेन्डरिंग) ।

कृ0 पृ0 उ0......

ज्ञाप सं0:– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2 एवं 3/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/ लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त्।

ह0/–
(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई–टेन्डरिंग) ।

ज्ञाप सं0:– 352 /पटना, दिनांक– 31/05/16

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त्।

Kumar 31/05/16

(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी,
(ई–टेन्डरिंग) ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या—क0 / विविध—06 / 2010- 527 / पटना दिनांक 27.07.15

प्रेषक

राकेश कुमार
नोडल पदाधिकारी,
ई—टेन्डरिंग ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यॉत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक, कय, परिवहन एवं सामग्री प्रबंधन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:—डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) बनवाने हेतु Controller of Certifying Authorities (CCA) के दिशा निदेश को लागू करने के संबंध में ।

प्रसंग:—भारत सरकार सूचना एवं सूचना प्राद्योगिकी विभाग, Controller of Certifying Authorites, का पत्रांक—F.No. 19(29)/2015-CCA दिनांक—19.05.2015 एवं बेल्ट्रॉन का Email दिनाक—15.06.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु दिनांक— 01.07.2015 से निम्नांकित Identity verification Guide-line लागू किया गया है:—

1. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन—पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर, फोटोग्राफ पर एवं संलग्न अभिलेखों पर हस्ताक्षर नीली स्याही से किया जाय ।

2. आवेदन—पत्र के साथ संलग्न प्रभार प्रतिवेदन, फोटो पहचान पत्र (Identity Proof) एवं पता प्रमाण पत्र (Address Proof) से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को अभिप्रमाणित करने हेतु राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा नीली स्याही से हस्ताक्षर किया जाय ।

3. प्रभार प्रतिवेदन, फोटो पहचान पत्र (Identity Proof) एवं पता प्रमाण पत्र (Address Proof) पर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करने हेतु अपना नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखा जाय साथ ही पदनाम का मुहर लगाया जाय ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखा जाय:—

1. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र पर एवं संलग्न अभिलेखो पर हस्ताक्षर एवं फोटो पर हस्ताक्षर पैन कार्ड / Driving Licence पर अंकित हस्ताक्षर के अनुरूप किया जाय ।

2. फोटो पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो पर तथा कुछ भाग विहित प्रपत्र पर होना चाहिए ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी
ई—टेन्डरिंग ।

ज्ञापांक—527 / पटना, दिनांक—27.07.15

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषाग, जल संसाधन विभाग सिंचाई भवन पटना को पत्र की छाया प्रति वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(राकेश कुमार)
नोडल पदाधिकारी